

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक B/3145 /

जबलपुर, दिनांक 24/05/2025

1. श्री जगदीश पाटिल, जूनियर ज्यूडीशियल असिस्टेंट
2. श्री मुकाम सिंह डावर, जूनियर ज्यूडीशियल असिस्टेंट

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इन्दौर को "श्री अरविन्दो, विश्वविद्यालय, इंदौर से एल.एल.बी त्रि-वर्षीय पाठ्यक्रम में नियमित छात्र के रूप में प्रवेश लेने एवं द्वितीय एवं तृतीय वर्ष 2024-2025 एवं 2025-2026" में अध्ययन करने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. यह कि साधारण तौर पर अध्ययन हेतु किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा। अवकाश केवल परीक्षा की अवधि (परीक्षा के दिन) तक सीमित रहेगा। यदि परीक्षा स्थगित हो जाती है, तो अवकाश का उपभोग न कर स्वतः कार्य पर उपस्थित होना होगा, बिना पूर्वानुमति के अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे।
2. यह कि, वे कार्यालयीन समय में अध्ययन नहीं करेंगे तथा शासकीय कार्य को लगन से करेंगे। यदि यह पाया गया कि वह शासकीय कार्य करने में किसी भी प्रकार की लापरवाही करते हैं तो यह अनुमति किसी भी समय निरस्त कर दी जावेगी।
3. यह कि दोपहर के अवकाश के अलावा यदि अपने कर्तव्यस्थल पर अनुपस्थित पाये गये अथवा अध्ययनरत् पाये गये तो यह अनुमति निरस्त कर दी जावेगी तथा आगामी तीन वर्षों के लिए अध्ययन हेतु अनुमति नहीं दी जावेगी।

(धरमिन्दर सिंह)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक B/3146 /
प्रतिलिपि :-

जबलपुर, दिनांक 24/05/2025

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इंदौर, की ओर उनके स्थापना के ज्ञापन क्रमांक प्रशा./780-पी/2835 इंदौर, दिनांक 01.10.2024 एवं ज्ञापन क्रमांक प्रशा./885-पी/2834 इंदौर, दिनांक 01.10.2024 के संदर्भ में,
2. रजिस्ट्रार(प्रशा.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
3. डिप्टी रजिस्ट्रार कम-पी.पी.एस, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर(ज्यूडीशियल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर(न्या.)(स्था.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. श्री जगदीश पाटिल, जूनियर ज्यूडीशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इंदौर,
7. श्री मुकाम सिंह डावर, जूनियर ज्यूडीशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इंदौर,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(हर्ष सिंह बहरावत)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)